न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी : अविचल चतुर्वेदी
आई0ए0एस0

मुकदमा सं0: 99/2019 प्रार्थना पत्र स्थानांतरण

1. श्री गंगाजी मंदिर विराजमान ग्राम महुवा तहसील महुवा जिला दौसा जरिये राजेन्द्र दत्तक पुत्र स्व0 अशरफीदेवी बेवा रामचरण जाति ब्राह्मण पुजारी मंदिर श्री गंगा मंदिर विराजमान ग्राम महुवा निवासी समलेटी तहसील महवा जिला दौसा।

. . . प्रार्थी

बनाम

1. परसराम पुत्र विश्राम जाति मीना निवासी हुड़ला तहसील महुवा जिला दौसा।
2. बद्री प्रसाद (फौत)

2/1 आकाश खण्डेलवाल पुत्र सूर्यप्रकाश खण्डेलवाल
2/2 जयप्रकाश खण्डेलवाल पुत्र सूर्यप्रकाश खण्डेलवाल
2/3 सचिन खण्डेलवाल पुत्र सूर्यप्रकाश खण्डेलवाल
2/4 विपिन खण्डेलवाल पुत्र सूर्यप्रकाश खण्डेलवाल

3. जगदीश (फौत)

3/1 दिनेश खण्डेलवाल पुत्र जगदीश प्रसाद खण्डेलवाल
3/2 गौरव खण्डेलवाल पुत्र जगदीश प्रसाद खण्डेलवाल
3/3 सौरभ खण्डेलवाल पुत्र जगदीश प्रसाद खण्डेलवाल

4. कल्याण प्रसाद पुत्र नारायणलाल
   समस्त जाति महाजन निवासी महुवा तहसील महुवा जिला दौसा राज0
5. तहसीलदार महुवा जरिये लैण्ड होल्डर महुवा जिला दौसा।
6. उप पंजीयक महुवा तहसील महुवा जिला दौसा।
7. उपखण्ड अधिकारी, महुवा श्री रतनलाल योगी।

. . .अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत स्थानान्तरण बउनवानी प्रकरण श्री गंगाजी मंदिर बनाम बद्रीप्रसाद वगै0 मुकदमा नं0 63/15 हाल मुकदमा नं0 165/17 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महुवा तहसील महुवा जिला दौसा।

उपस्थिति : 1. श्री लक्ष्मीकान्त शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष।
2. श्री अभयशंकर शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2/1, 3/2, 4

—:: निर्णय ::— दिनांक: 23.10.2019

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी सं01 परसराम ने एक दावा गंगाजी मंदिर का पुजारी बनकर मुकदमा सं0 63/15 उनवानी प्रकरण श्री गंगाजी मंदिर जरिये परसराम बनाम बद्री प्रसाद वगै0 के नाम से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महुवा के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि साबिक खसरा नम्बर 111 नवीन खसरा नम्बर 429/1118 रकबा 0.62 है0 भूमि श्री गंगाजी मंदिर ग्राम महुवा तहसील महुवा की माफी की भूमि रही है। बद्री प्रसाद व कल्याण के पूर्वजों ने गलत तौर पर मंदिर माफी की जमीन को अपने नाम खातेदारी में करवा ली। जिसमें प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा से न्याय की उम्मीद नहीं होने से प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण बाबत प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मु0सं0: 99/2019 प्रार्थना पत्र स्थानांतरण

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा से तथ्यात्मक टिप्पणी तलब की गई। उपस्थित अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी उक्त प्रकरण में बहैसियत पुजारी होने के नाम अपना हित रखता है। अप्रार्थीगण काफी धनवान एवं राजनैतिक प्रभावशाली व्यक्ति है जिन्होने पीठासीन अधिकारी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा से पूर्ण रूप से सांठगांठ कर रखी है। पीठासीन अधिकारी महवा द्वारा प्रकरण में मात्र 2-2 दिन की नजदीक तारीख पेशी दी गई है तथा प्रार्थी को प्रकरण में संशोधित वाद पत्र पेश करना था जिसका भी अवसर पीठासीन अधिकारी द्वारा नहीं दिया गया और न ही प्रार्थी को अपनी ओर से दस्तावेज पेश किये जाने का अवसर दिया जा रहा है। पीठासीन अधिकारी की कार्यशैली से यह प्रतीत होता है कि वह भी उक्त प्रकरण में येन केन प्रकारेण अप्रार्थीगण को नाजायज लाभ पहुंचाने को आमादा हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी महुवा से न्याय की उम्मीद नहीं है। इसलिये प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानांतरण करने के आदेश फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्थानांतरण बेबुनियाद आधारहीन व तथ्यों को छिपाते हुए एवं प्रकरण को अत्यधिक देरीना करने के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रस्तुत किया गया है। वादग्रस्त भूमि में बना हुआ मंदिर मिन प्रार्थीगण का तनहा मंदिर है तथा उक्त मंदिर का प्रार्थीगण ने ट्रस्ट बना रखा है तथा वंशानुगत ट्रस्टी बनने का प्रावधान है। उक्त ट्रस्ट देवस्थान विभाग से रजिस्टर्ड है। उक्त मंदिर व उसकी भूमि को हड़पने के लिये यह झूठा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जिसमें कोई साक्ष्य नहीं है। प्रार्थी को माननीय न्यायालय द्वारा साक्ष्य के लिये पर्याप्त अवसर दिये गये किन्तु साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के कारण दिनांक 14.5.2019 को वादी की साक्ष्य बन्द की गई। प्रार्थी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी प्रस्तुत की गई जिसमें पारित निर्णय में वादी को 500/- कोस्ट पर साक्ष्य के लिये अंतिम अवसर दिया गया। किन्तु प्रार्थी द्वारा साक्ष्य पेश नहीं है। प्रार्थी को साक्ष्य पेश किये जाने का अवसर बार-2 दिये जाने के उपरान्त भी कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है। प्रार्थी द्वारा पूर्व में भी प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण करवाने हेतु प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था जो खारिज किया गया था। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण को खारिज फरमाया जावे।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा से प्राप्त टिप्पणी का भी अवलोकन किया गया। उपखण्ड अधिकारी महवा द्वारा प्रेषित टिप्पणी के अनुसार न्यायालय द्वारा वादी को पूर्व मे साक्ष्य के लिए पर्याप्त अवसर दिये गये किन्तु वादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नही करने के कारण न्यायालय द्वारा दिनांक 14.05.2019 को वादी की साक्ष्य बंद की गई। इस आदेश विरूद्ध वादी द्वारा माननीय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर मे निगरानी प्रस्तुत की गई। जिसे दिनांक 04.06.2019 को स्वीकार करते हुए वादी को साक्ष्य के लिए एक अंतिम अवसर देने के आदेश दिये गये है। उक्त आदेश की पालना मे वादी को दिनांक 18.06.2019 को साक्ष्य के लिए अवसर देते हुए दिनांक 27.06.2019 नियत की गई। दिनांक 27.06.2019 को न्यायिक कार्य नहीं हो सका तथा दिनांक 04.07.2019 नियत की गई। किन्तु वादी की साक्ष्य उपस्थित नहीं है। वादी आधारहीन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय पर दबाव बनाना चाहता है। प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय मे मुन्तकिल किया जाने मे कोई आपत्ति नही होना व्यक्त किया है। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी को न्यायिक प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनियमितता की गई हो इस प्रकार का कोई दस्तावेज पेश करने का अवसर दिये जाने पर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस एवं अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मु0सं0: 99/2019 प्रार्थना पत्र स्थानांतरण

...वा की टिप्पणी से यह प्रतीत होता है कि वादी को साक्ष्य पेश किये जाने हैं तथा बार–बार अवसर दिये जाने के उपरान्त भी साक्ष्य पेश नहीं किया जाना एवं बार–2 स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाने से प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किया जाना तथा किसी भी तरह से प्रकरण को चलाये रखना ही प्रार्थी का उद्देश्य है। इसलिये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा में विचाराधीन उनवानी प्रकरण श्री गंगाजी मंदिर बनाम बद्रीप्रसाद वगै0 मुकदमा नं0 63/15 हाल मुकदमा नं0 165/17 को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानांतरण करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण को खारिज किया जाकर उपखण्ड अधिकारी महवा को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत सुनवाई का अवसर दिया जाकर प्रकरण के निस्तारण हेतु अग्रिम विधिसम्मत कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा को भिजवाई जावे। प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 23 अक्टूबर 2019 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Date: 2019.11.15 10:28:00 IST
Reason: SelfAttested
Location: